"स्वीस संघीय परिषद"

THE SWISS EXECUTIVE (SWISS FEDERAL COUNCIL)

(1)

स्विटजरलैंड की संघीय कार्यपालिका को संघीय परिषद कहा जाता है। स्विस संविधान के अंतर्गत जिस कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है वह अनुपम और अतुल्य है। दुनियाँ में उसका कोई सदृश नहीं मिलता। विश्व में मुख्यत: दो तरह के शासन प्रणालियाँ प्रचलित हैं। एक संसदात्मक तथा दूसरा अध्यक्षात्मक। संसदात्मक पद्धति में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का प्रधान होता है वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होते हैं जो राज्याध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हैं तथा अपने कार्यों के लिये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में राज्याध्यक्ष वास्तविक प्रधान होता है एवं अपने शक्तियों का वह स्वयं प्रयोग भी करता है। इन दोनो शासन प्रणालियों में कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है। लेकिन स्विटजरलैंड इसका अपवाद है। वहाँ की शासन पद्धति न तो संसदात्मक है और न अध्यक्षात्मक ही है। बल्कि वह इन दोनो प्रणालियों की विशेषताओ का सम्मिश्रण है। इसलिये इसे विलक्षण एवं अनुपम कहा गया है जो निम्नलिखित है :—

(1) बहुल कार्यपालिका → स्विस कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका है क्योंकि कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती है जो सब आपस में समान होते हैं। यहाँ तक परिषद के अध्यक्ष के पास भी कोई विशेषाधिकार नहीं रहता। इस प्रकार परिषद एक मंडलीय संस्था के समान है।

(2) संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का मध्यम मार्ग → स्विस कार्यपालिका का दूसरा अनूठापन यह है कि वह न तो संसदात्मक है और न अध्यक्षात्मक। बल्कि इसमें दोनो पद्धतियों के गुणों को अपनाने और अवगुणो से बचने का प्रयत्न किया गया है। संसदात्मक प्रणालियों की तरह जहाँ उसके सदस्यो का निर्वाचन व्यवस्थापिका से किया जाता है वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणालियों की तरह वे व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं रह जाते क्योंकि कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाने के बाद वे व्यवस्थापिका के पदों से त्यागपत्र दे देते हैं।

(3) उत्तरदायित्व और स्थायित्व का स्वस्थ सम्मिश्रण → स्विस संघीय परिषद में उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का बड़ा उम्दा एवं स्वस्थ योग है। संघीय परिषद व्यवस्थापिका के प्रति इस दृष्टि से उत्तरदायी है कि उसके सदस्य प्रश्नो प्रति प्रश्नो का उत्तर देते हैं और सरकार की नीति का औचित्य सिद्ध करते हैं। व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। वह उसे किसी विशेष नीति अपनाने और कार्य करने के लिये आदेश दे सकती है और उसे मानना कार्यपालिका के लिये अनिवार्य है। यदि किसी विषय पर कार्यपालिका के सदस्य

P.T.O.

Scanned with CamScanner

व्यवस्थापिका से अपनी बात मँगवाने में हार जाते हैं तो वे इंग्लैंड तथा फ्रांस के मंत्रियों की तरह पद त्याग नहीं करते हैं।

(५) निर्दलीय चरित्र → स्विस संघीय कार्यपालिका की स्थिति बिल्कुल ही निर्दलीय होती है। इसके सदस्य दलगत आधार पर नहीं बल्कि उच्च नैतिक चरित्र, प्रौढ़ व्यक्तित्व, प्रशासनिक कुशलता तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मिलित किये जाते हैं। इसलिये वे आवश्यकता पड़ने पर संसद में अपने साथी सदस्यों के निर्णयों के विरुद्ध भी बोल सकते हैं।

(६) विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल → स्विस संघीय परिषद में मंत्रीगण प्रायः नौसिखिए नहीं रहते। सदस्यों के बार-२ निर्वाचन होने के कारण उन्हें लंबे समय तक का राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक योग्यता प्राप्त हो जाता है। इसी कारण उसमें उचित निर्णय और कर्तव्य पराणता आदि विशिष्ट गुण पाये जाते हैं।

यद्यपि स्विस कार्यकारिणी अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही अनूठी और प्रशंसनीय है तथापि उसमें कुछ दोष भी हैं। कार्यकारिणी के सदस्य न किसी नेता के प्रति वफादार होते हैं और न उसमें पारस्परिक एकता की भावना होती है प्रायः ऐसा भी होता है कि कार्यकारिणी के सदस्य शासन की बागडोर अपनी-२ ओर ~~खिंचते~~ खींचते हैं जिससे शासन नीति में मतभेद उत्पन्न हो जाता है।

संगठन → स्विटजरलैंड के संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति किसी एक व्यक्ति में न होकर सात सदस्यों की एक परिषद में निहित रहती है जो आपस में समान अधिकार वाले होते हैं। इन सातो ~~में~~ सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष के लिये किया जाता है। संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के दोनो सदनो से संयुक्त अधिवेशन में होता है। सदस्यों का चुनाव ४ वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। इसके चुनाव के सिलसिले में एक संवैधानिक प्रतिबंध यह है कि परिषद में एक कैण्टन से सिर्फ एक ही व्यक्ति निर्वाचित हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके गठन में प्रायः यह भी परंपरा बन गई है कि बर्न, ज्यूरिच तथा वॉड जैसे कैण्टनो से एक-२ सदस्य अवश्य हो।

संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन यद्यपि सामान्यतः ४ वर्ष के लिये होता है परन्तु उनका बार-२ पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। उसमें उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता की योग्यता रखता हो।

अधिकार एवं कार्य → स्विटजरलैंड का संघीय परिषद विभिन्न कार्यों का संपादन करती है जिसमें प्रशासनिक शक्तियाँ प्रधान हैं। इसके निम्नलि-

Scanned with CamScanner

रिबत, अधिकार एवं कार्य है :—

(1) **कार्यपालिका शक्तियाँ** → संघीय परिषद स्विस संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इसे संघीय आज्ञाओ तथा कानूनो के अनुसार संपूर्ण संघ के प्रशासन का नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। प्रशासनिक क्षेत्र में संघीय परिषद का मुख्य कर्तव्य है कि वह संघ में शांति व्यवस्था का उचित प्रबंध करें। बाह्य आक्रमणों एवं आंतरिक उपद्रवो से देश की रक्षा करे तथा स्विटजरलैंड की स्वतंत्रता तथा तटस्थता की सुरक्षा करें। यद्यपि कि आंतरिक शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कैण्टनों का उत्तरदायित्व है लेकिन यदि आंतरिक अव्यवस्था हो जाये तो संघीय सभा निर्णय करती है कि क्या कार्यवाही की जाय तथा क्या संघीय परिषद उसकी आज्ञाओ को क्रियान्वित करती है?

संघीय संसद (Federal Assembly), के कानूनो और अधिनियमो, संघीय न्यायालय के निर्णयो तथा विभिन्न कैण्टनो के पारस्परिक विवादो के समाधान के लिये किये गये समझौतो और मध्यस्थता को लागू करने का प्रबंध संघीय परिषद ही करता है। संघीय परिषद उन समस्त उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करती है जिनकी नियुक्ति व्यवस्थापन विभाग नहीं करता। साथ ही जिन पदो पर नियुक्ति निर्वाचन द्वारा नहीं होती उन पदो पर भी नियुक्ति का अधिकार संघीय परिषद को ही है।

वैदेशिक संबंधो के नियमों का निर्धारण और उनकी देखभाल का अधिकार भी संघीय परिषद (Federal Council) को ही दिया गया है। संघीय परिषद ही उन विभिन्न संधियों का परीक्षण करती है जो कैण्टन आपस में ~~बब्ब~~ अथवा विदेशो के साथ करते हैं। यदि वे संधियाँ उचित होती हैं तो उनपर स्वीकृति प्रदान कर देती है अन्यथा उसे अवांछनीय संधि घोषित कर संघीय सभा को उन्हें रद्द करने की अपील करती है।

संघीय परिषद कैण्टनों द्वारा पारित सभी कानूनों तथा उनके सभी अध्यादेशो का भी निरिक्षण परीक्षण करती है। कैण्टनो के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने सभी कानूनों और अध्यादेशों को संघीय परिषद से स्वीकृत करवायें। संघीय सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कैण्टन संविधान में संशोधन के प्रस्तावों की संघीय परिषद जाँच करती है तथा विधानमंडल में तत्संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।

(2) **विधायी शक्तियाँ** → विधि निर्माण में भी परिषद का काफी हाथ रहता है। वही कानून का प्रारूप तैयार कर संसद में प्रस्तुत करती है अथवा संघीय सभा के अपने विधेयक भी प्रायः पहले परिषद के पास ही आवश्यक सुधार व सुझाव के लिये भेजे जाते हैं और तत्पश्चात उन पर संसद विचार करती है।

P.T.O.

CONCLUSION → इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि संघीय परिषद को बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। लावेल के अनुसार → संघीय परिषद को राष्ट्रीय [illegible] रूपी घड़ी की बड़ी कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय [illegible] का संतुलन चक्र है। (The federal council may almost be regarded as the main taining and certainly the balance wheels of the national govt.)

(4)

संघीय परिषद को अध्यादेश जारी करने एवं प्रदत्त विधायन (Delegated Legislation) के अंतर्गत भी नियम बनाने का अधिकार है। परिषद के अध्यादेशों एवं प्रदत्त विधायन के अंतर्गत बनाये गये नियमों का प्रभाव कानूनों के समान ही होता है और न्यायालय द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है। अध्यादेशों के विषय में किसी प्रकार के जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है जबकि कानूनों के विषय में ऐसा है। इस प्रकार अध्यादेश जारी करने की शक्ति संघीय परिषद की स्थिति और उसके महत्व को बढ़ा देती है।

संघीय परिषद के सदस्य यद्यपि विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, परन्तु वे सदन की बैठकों में उपस्थित हो सकते हैं। वे अपने विचार मत और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा विचाराधीन विषयों पर प्रस्ताव रख सकते हैं। उनके प्रस्तावों को उचित महत्व दिया जाता है और आवश्यकतानुसार ग्रहण किया जाता है। संघीय सभा की समितियों में भी परिषद के सदस्यों का स्थान व प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। समितियों के प्रतिवेदन तैयार करने में इन सदस्यों के विशेष ज्ञान की सहायता मिलती है।

<3> **वित्तीय अधिकार** → वित्तीय क्षेत्र में भी संघीय परिषद को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रतिवर्ष संघीय बजट इसी के द्वारा तैयार कर संघीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह संघीय आय व्यय की देखभाल करती है और राजस्व संग्रह करती है। वित्तीय व्यवस्था की सुचारुता और सुप्रबंध के लिये संघीय परिषद ही उत्तरदायी होती है। आय व्यय का समुचित हिसाब रखने का उत्तरदायित्व परिषद पर ही है।

<4> **न्यायिक अधिकार** → संघीय परिषद को कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा संविधान की धाराओं जैसे - 183, 51, 53 आदि में उल्लिखित मामलों से संबंधित विवादों ~~पर~~ के संबंध में की गई अपीलों पर निर्णय देती है। संघीय रेलवे प्रशासन एवं विभिन्न प्रशासकीय विभागों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों की भी सुनवाई करती है। क्षमादान (Pardon) का अधिकार अन्य देशों में प्रायः कार्यपालिका को प्राप्त होती है परन्तु स्विस संघीय परिषद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

<5> **संकटकालीन अधिकार** → संविधान के अंतर्गत संघीय परिषद को कोई संकटकालीन विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, आर्थिक मंदी या ऐसी ही अन्य संकटों के समय संघीय सभा अपनी सभी अधिकारों संघीय परिषद को सौंप सकती है। यथा 1914 तथा 1939 ई० में विश्वयुद्ध के समय राष्ट्र की तटस्थता, स्वतंत्रता तथा आर्थिक हित की रक्षा हेतु संघीय परिषद को पूर्ण अधिकार सौंप दिये गये थे।

—x—

स्विस संघीय परिषद की उपर्युक्त स्थिति को देखते हुये ब्रोजे ~~के~~ का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि—

Wrong

Scanned with CamScanner

Introduction

इसमें दोनों शासन पद्धतियों को अपनाने तथा अवगुणों से बचाने का प्रयास किया गया है। स्विटजरलैंड में कार्यपालिका शक्ति को ब्रिटेन तथा अमेरिका के समान किसी एक व्यक्ति में निहित न कर सात (7) सदस्यों की एक परिषद (Council) में निहित किया गया है, जिसे संघीय परिषद (Federal Council) कहते हैं। इसी कारण स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका (Plural executive) या मण्डलात्मक कार्यपालिका Collegiate executive) या मिश्रित कार्यपालिका (Commission Type executive) कहते हैं। इसीलिये यह संसार की कार्यपालिकाओं में अतुल्य तथा अनोखी कार्यपालिका है। कोडिंग के अनुसार- "इस अनोखे छोटे देश की अनोखी संस्था निःसंदेह संघीय परिषद अर्थात् स्विस संघीय कार्यपालिका है।"

Composition

स्विट्जरलैंड के संविधान की धारा 95 में यह उल्लिखित है कि- "The supreme directing and executive power in the confederation is exercised by Federal council of Seven members." अर्थात् स्विस परिसंघ की सर्वोच्च निदेशन तथा कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति 1848 ई० के संविधान द्वारा निर्धारित की गई थी। संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन संघीय सभा के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में होता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। इनके चुनाव के सिलसिले में एक संवैधानिक प्रतिबंध यह है कि परिषद में एक कैण्टन से सिर्फ एक ही व्यक्ति निर्वाचित हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसके संगठन में प्रायः एक परम्परा बन गई है कि बर्न, ज्यूरिच तथा वॉड नामक कैण्टन से एक-2 सदस्य अवश्य हो। दूसरी परम्परा है कि संघीय परिषद में चार जर्मन भाषा भाषी, 2 फ्रेंच भाषा भाषी तथा 1 इटालियन भाषा भाषी होता है।

Election

संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन यद्यपि सामान्यतः चार वर्ष के लिये होता है परन्तु बार-2 उनका पुनर्निर्वाचन होता रहता है फलतः उनका औसत कार्यकाल 10 वर्ष हो जाता है। परन्तु कुछ सदस्य ऐसे भी हुये हैं जिन्होंने अनेक वर्षों तक इसकी सदस्यता ग्रहण की है। जैसे→ जिसपे मोटा — 30 वर्ष तक, नेएक - 27 वर्ष तक तथा फिलिप एटर ने 23 वर्ष तक। इसमें उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो राष्ट्रीय परिषद की सदस्यता की योग्यता रखते हैं।

P.T.O

Scanned with CamScanner

(6)

संघीय परिषद के प्रत्येक सदस्य को 80,000 फ्रैंक वार्षिक वेतन मिलता है। परिषद के अध्यक्ष को अन्य सदस्य से 10,000 फ्रैंक अधिक मिलते हैं। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि वे 10 वर्ष तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं तो उन्हें निवृत्ति वेतन दिया जाता है जो वेतन का 50% से 60% तक होता है।

Pay and other facility

संघीय सभा के दोनो सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय परिषद के सदस्यो में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का एक वर्ष के लिये चुनाव करते हैं। यही स्विस राज्य मंडल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भी होते हैं।

संघीय परिषद की साधारणतया सप्ताह में दो बैठके होती हैं। परिषद की कार्यवाही गुप्त होती है और परिषद के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सके इसके लिये कम से कम चार सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय बहुमत से होता है। कोई भी सदस्य बिना परिषद की आज्ञा के बिना बैठक से अनुपस्थित नहीं रह सकता। परिषद का अध्यक्ष निर्णायक मत देता है।

Quorum

स्विट्जरलैंड में शासन के समस्त कार्य को सात (7) विभागो में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग एक संघीय परिषद के सदस्य के अधीन होता है जो उसके कार्य संचालन के लिये समस्त परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। एक विभाग के प्रमुख की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में कार्य करने के लिये प्रत्येक विभाग का प्रमुख दूसरे विभाग का उपप्रमुख होता है। वर्तमान काल में लिखित 7 प्रशासकीय विभाग हैं — जिनका विभाजन अमेरिका के समान विधायिकी अधिनियम से नहीं बल्कि फ्रांस के जैसा कार्यपालिका विनियम से हुआ हो ये विभाग हैं — ① राजनीतिक विभाग ② गृह विभाग ③ न्याय और पुलिस विभाग ④ सैनिक विभाग ⑤ वित्त और प्रशुल्क विभाग ⑥ सार्वजनिक अर्थ विभाग तथा ⑦ डाक और रेल विभाग।

Division of work

—x—

Scanned with CamScanner